न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 87/2016

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 चुन्नीलाल आयु 54 वर्ष पुत्र भगवानाराम।
2 प्यारेलाल आयु 42 वर्ष भगवानाराम समस्त जाति माली निवासीगण सुण्डा की ढाणी तहसील रामगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1 दुष्यन्त कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी ग्राम भाखरवासी तहसील रामगढ़ जिला सीकर।
2 लिखमाराम आयु 42 वर्ष पुत्र रामकुमार।
3 गणेशमल आयु 37 वर्ष पुत्र रामकुमार समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम सुण्ढ़ा की ढ़ाणी तहसील रामगढ़ जिला सीकर।
4 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया रामगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
5 राजस्थान ग्राम बैंक शाखा रामगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक।
6 तहसीलदार महोदय, रामगढ़ जिला सीकर।
7 पटवारी हल्का सहनूसर जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट

नियमित प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व पारित निर्णय/आदेश दिनांकित 14.06.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर बउनवानी प्रार्थना पत्र संख्या 44/2014 चुन्नीलाल आदि बनाम दुष्यन्त कुमार आदि

उपस्थित

1. श्री शिवप्रसाद काबरा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भानू प्रकाश यादव अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–21.12.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी द्वारा आवेदन संख्या 44/2014 में पारित निर्णय दिनांक 14.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने आवेदन प्रस्तुत कर अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर ग्राम गरण्डवा से मण्डावा जाने वाले

कटानी रास्ते से प्रारम्भ होकर खसरा नम्बर 155/1 के मध्य में से खसरा नम्बर 154 की उत्तरी सीमा में प्रवेश करने तक की लम्बाई का व 15 फिट चौड़ा रास्ता दिलवाई जाने की मांग की। विचारण न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में दिनांक 02.06.2015 को तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई है। तब से लगातार दिनांक 01.06.2016 तक पत्रावली वास्ते इन्तजार तहसीलदार रिपोर्ट चलती रही है आगामी तिथि दिनांक 14.06.2016 को विचारण न्यायालय ने तहसीलदार रिपोर्ट प्राप्त हुये बिना बहस सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। जो विधिक प्रकिया के विपरित है अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जाये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे से अपीलांट को रास्ता पहले से उपलब्ध है विचारण न्यायालय ने इस पर विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में स्पष्ट प्रावधान है कि तहसीलदार अथवा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा। विचारण न्यायालय ने इस हेतु प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार को मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर भी जारी की है किन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना सीधे ही विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। जो विधि सम्मत नही

माना जा सकता है। फलतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि निर्धारित प्रकिया की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 18.01.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/12/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर